



31-07-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रकाश कुमार उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी महेशकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.04.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:-

उक्तानुसार निवेदन है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2014/1887 दिनांक 21.08.14 को अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ को लिखा कि आवंटी कानाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार साकिन गणेशगढ को आवंटित रकबे की किस्त राशि जमा कराने के लिए मार्फत लीलाधर 28.12.04 को विकास शिविर में आवेदन प्राप्त हुआ जिस पर हल्का पटवारी द्वारा कब्जा काश्त के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि रकबा ठानाराम को आवंटित हुआ है आदि आदि। पत्र संख्या राजस्व/2014/1887/21.08.14 की प्रति संलग्न है। अतः पटवारी द्वारा शिविर में उपस्थित लोगो से पूछताछ व हल्का पटवारी की 28.12.2004 के प्रार्थना पत्र पर की गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवावे।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपना प्रतिवेदन सं० 1551 दिनांक 17.07.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं० 918 दिनांक 19.04.17 के द्वारा प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने पत्र सं० 918 दिनांक 19.04.17 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाही गई सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने उक्त पत्र सं० 918 दिनांक 19.04.17 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1584-85  
18-8-17

(ज्ञानाराम)  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर